मदनलाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	नामान्तरण अपील प्र.सं. 6/2024
23-12-24	वकील अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पोडेण्टस सरपंच 1 व 2 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो चुकी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर रेस्पोंडेण्ट सरपंच 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 08-01-2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला-नीमकाथाना
08-01-25	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्षान [illegible] उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15-01-25 को पेश हो।
15.01.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील अपीलाार्थी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 31.01.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
31.01.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण अपील स्वीकार [illegible] योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] की जाती है। इस बावत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
06/20224	2024/380	30.10.2024	31.01.2025

उनवान प्रकरण

मदनलाल माता स्वर्गीय सुगनी देवी पुत्री स्वर्गीय सुण्डा जाति मेघवंशी निवासी ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0) हाल निवासी बी–460 बी. ब्लॉक जेजे कॉलोनी इन्द्रपुरी दिल्ली।

––अपीलार्थी

बनाम्

1–सरपंच ग्राम पंचायत गढ़टकनेत पं. सं. अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

2–भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

––रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–
श्री रामप्रताप सिंह धींवा, एड0 प्रार्थी/अपीलार्थी अभिभाषक।

<u>अपील विरूद्ध नामान्तकरण निर्णय दिनांक 21.10.2024 ग्राम पंचायत गढ़टकनेत पंचायत समिति अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना राज0 बाबत नामान्तकरण संख्या–2808 ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने एक अपील नामान्तकरण खिलाफ रेस्पोडेण्टस् के इस आशय से प्रस्तुत की है कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1955, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1982, 1984, 1985, 1988 कुल किता–11 कुल रक्बा 6.3200 हैक्टर तन ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत भू. अभि. नि. अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है जिसमें हिस्सा 1/7 की खातेदारी मृतक खातेदार सुण्डा पुत्र मंगला कौम मेघवंशी के नाम भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज है। मृतक खातेदार सुण्डा पुत्र मंगला के वारिसान का सजरा खानदान पत्रावली में पेश किया गया है। मृतक खातेदार सुण्डा पुत्र मंगला के विरासत का नामान्तकरण संख्या–2808 पटवारी हल्का गढ़टकनेत द्वारा मृतक खातेदार सुण्डा पुत्र मंगला के उक्त सजरा वारिसान के हक में भरा जाकर रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत गढ़टकनेत के समक्ष प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सरपंच ग्राम पंचायत गढ़टकनेत द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 21–10–2024 को प्रस्ताव संख्या–2 के द्वारा पारित फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या–2808 को अस्वीकार कर खारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत हैः–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का निर्णय दिनांक 21–10–2024 बाबत नामान्तकरण संख्या–2808 विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। तन ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1955, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1982, 1984, 1985, 1988 कुल किता–11 कुल रक्बा 6.3200 हैक्टर में मृतक खातेदार सुण्डा पुत्र मंगला कौम मेघवंशी के नाम दर्ज हिस्सा 1/7 की भूमि का विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान अपीलार्थी व अन्य वारिसान के हक में भरा जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 सरपंच ग्राम पंचायत गढ़टकनेत के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ग्राम पंचायत गढ़टकनेत द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 21–10–2024 को प्रस्ताव संख्या–2 के द्वारा पारित फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या–2808 को अस्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

खारिज फरमा दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रस्ताव संख्या–2 में यह तथ्य अंकित करके चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित फरमाया गया है "कि नामान्तकरण संख्या–2808 सुण्डा पुत्र मंगला निवासी गढ़टकनेत के नामा0 पर प्रार्थी मूलचन्द दत्तक पुत्र सुण्डा निवासी गढ़टकनेत ने आपत्ति दर्ज करवायी थी कि मैं स्वर्गीय सुण्डाराम पुत्र मंगला का दत्तक पुत्र हूँ। इस सम्बन्ध अपने समस्त दस्तावेज राशन कार्ड पुराना प्रमाण पत्र, कुर्सीनामा, हरिद्वार शपथ पत्र, जन आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा इसके साथ बहन सुगना के वारिश अनुरूप पर आपत्ति दर्ज करवायी इस पर कोरम में विचार विमर्श कर नामा. सं. 2808 किस्म विरासत को खारिज करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन कोरम द्वारा सर्व सम्मति से किया गया।" जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि तथाकथित व्यक्ति मूलचन्द स्वर्गीय सुण्डा पुत्र मंगला का दत्तक पुत्र नही है ना ही इसको कभी गोद लिया गया है, ना ही किसी प्रकार का कोई गोदनामा या रजिस्टर्ड गोदनामा ही करवाया हुआ है। इसने कूटरचित दस्तावेज तैयार किये है। जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित फरमाये जाने की गंभीर भूल की है। जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का चुनौतिग्रस्त निर्णय स्थिर रहने योग्य नही होकर अपास्त होने योग्य है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ग्राम पंचायत गढ़टकनेत द्वारा नामान्तकरण संख्या–2808 ग्राम गढ़टकनेत की बावत पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 21–10–2024 को अपास्त फरमाया जाकर तन ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत भू. अभि. नि. अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1955, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1982, 1984, 1985, 1988 कुल किता–11 कुल रक्बा 6.3200 हैक्टर में मृतक खातेदार सुण्डा पुत्र मंगला कौम मेघवंशी के [illegible] हिस्सा 1/7 का विरासत का नामान्तकरण संख्या –2808 जो [illegible] मृतक खातेदार सुण्डा पुत्र मंगला के वारिसान के नाम [illegible] जिसमें वर्णित मद संख्या–2 अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सजरा खानदान के अनुसार मृतक विजय कुमार के नाबालिग पुत्र विराज का नाम दर्ज होने से छूट गया था, उसका नाम नामान्तकरण में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करते हुये नामान्तकरण संख्या –2808 को स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड/भू–अभिलेख में मृतक सुण्डा पुत्र मंगला के वारिसान को वर्णित सजरा खानदान अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन अपनी अपील नामान्तकरण में की है।

इस पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टस् को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। रेस्पोडेण्टस संख्या– 1 व 2 की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेण्टस् संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में बहस सुनी जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील अपीलान्ट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2024–2027, सरपंच ग्राम पंचायत गढटकनेत की बैठक दिनांक 21.10.2024 के प्रस्ताव की नकल, आधार कार्ड की फोटो प्रति, फर्द मौका जॉच वारिसान् रिपोर्ट द्वारा पटवारी हल्का गढटकनेत इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन स्पष्ट है कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी मृत्तक खातेदार सुण्डा पुत्र मंगला कौम मेघवंशी के [illegible] से खातेदारी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। [illegible] दार सुण्डा पुत्र मंगला की मृत्यु होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 280[illegible] दिनांक 21.10.2024 के द्वारा प्रार्थी मूलचन्द दत्तक पुत्र सुण्डा निवासी [illegible] गढटकनेत के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जाने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के द्वारा विरासत का नामान्तकरण निरस्त किया जाना प्रकट होता है। पटवारी हल्का गढ़टकनेत की रिपोर्ट दिनांक 29.07.2024 में खाता संख्या 219 कुल किता 11 कुल रकबा 6.32 हैक्टर की खातेदारी मृत्तक सुण्डाराम पुत्र मंगला व अन्य के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा उक्त मृत्तक खातेदार के एक पुत्री सुगना पुत्री सुण्डाराम पत्नि हनुमान जाति मेघवंशी व पत्नी सुन्दरी देवी के फौत होने की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत गढ़टकनेत द्वारा सुण्डा पुत्र मंगला निवासी गढ़टकनेत के विरासत के नामान्तकरण संख्या 2808 पर प्रार्थी मूलचन्द दत्तक पुत्र सुण्डा निवासी गढ़टकनेत की आपत्ति के आधार पर ग्राम पचायंत गढ़टकनेत द्वारा दिनांक 21.10.2024 को नामान्तकरण खारिज किया जाना प्रकट होता है। इस आधार पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृत्तक सुण्डाराम पुत्र मंगला के विधिक वारिसान् कौन–कौन है तथा मूलचन्द दत्तक पुत्र सुण्डा व अपीलार्थी मदनलाल माता स्व0 सुगनी देवी पुत्री स्व0 सुण्डा में से कौन व्यक्ति उक्त मृत्तक खातेदार सुण्डाराम पुत्र मंगला का विधिक वारिसान् है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील नामान्तकरण में चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उभय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ग्राम पंचायत गढ़टकनेत द्वारा नामान्तकरण संख[illegible]8 ग्राम गढ़टकनेत की बाबत पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय [illegible] अपास्त फरमाया जाकर तन ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत [illegible]भि. नि. अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जिला सीकर (राज0) में अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1955, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1982, 1984, 1985, 1988 कुल किता–11 कुल रक्बा 6.3200 हैक्टर में मृतक खातेदार सुण्डा पुत्र मंगला कौम मेघवंशी के नाम दर्ज हिस्सा 1/7 का विरासत का नामान्तकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण को भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:46:03 IST
Reason: SelfAttested